GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 07 Sep , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : शासन**	केंद्र ने मल्टीड्रग-रेज़िस्टेंट टीबी के लिए नई उपचार पद्धति को मंज़ूरी दी
Page 03 **Syllabus : GS 2 : राजनीति**	ASI ने कहा कि वक्फ बोर्ड के साथ संरक्षित स्मारकों के साझा स्वामित्व से विवाद पैदा होता है
Page 05 **Syllabus : GS 3 : पर्यावरण**	बाघ क्षेत्रों से स्थानांतरण पर एनटीसीए के पत्र से नाराज़गी
Page 06 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	जम्मू और कश्मीर के लिए अनुपयुक्त पर्यटन नीति
समाचार में शब्द	वित्तीयकरण
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	राजकोषीय घाटे को राजकोषीय विवेक के मानदंड के रूप में बनाए रखना

Page 01 : GS 2 : Social Justice

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक के लिए एक नई उपचार पद्धति शुरू करने को मंजूरी दे दी।

- मंत्रालय ने कहा कि बीपीएएलएम पद्धति पिछली बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) उपचार प्रक्रिया की तुलना में एक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार विकल्प साबित हुई है।
- इसने कहा कि देश सतत विकास लक्ष्यों के तहत इस बीमारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीआर-टीबी के लिए एक नया उपचार बीपीएएलएम पद्धति शुरू की है।

उच्च सफलता दर

- इस पद्धति में बेडाक्विलाइन और लाइनज़ोलिड (मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ या बिना) के संयोजन में एक नई एंटी-टीबी दवा, प्रीटोमैनिड शामिल है। प्रीटोमैनिड को पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भारत में उपयोग के लिए अनुमोदित और लाइसेंस दिया गया था।
- जबकि पारंपरिक उपचार गंभीर दुष्प्रभावों के साथ 20 महीने तक चल सकते हैं, BPaLM उपचार से दवा प्रतिरोधी टीबी को केवल छह महीने में ठीक किया जा सकता है और इसकी सफलता दर भी बहुत अधिक है।
- भारत के 75,000 दवा प्रतिरोधी टीबी रोगी अब इस छोटी अवधि के उपचार से लाभ उठा सकेंगे।

टीबी के मामलों और मौतों में रुझान:

- टीबी के अधिकांश मामले अभी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र द्वारा अधिसूचनाओं में वृद्धि हुई है।
- 2023 में रिपोर्ट किए गए 25.5 लाख मामलों में से लगभग 33% या 8.4 लाख मामले निजी क्षेत्र से आए।
- तुलना करने के लिए, 2015 में निजी क्षेत्र द्वारा केवल 1.9 लाख मामले रिपोर्ट किए गए थे, जिसे इस बीमारी के उन्मूलन की दिशा में तैयार किए गए कार्यक्रम द्वारा आधार रेखा माना जाता है।
- 2023 में टीबी की अनुमानित घटना पिछले वर्ष के 27.4 लाख के अनुमान से थोड़ी बढ़कर 27.8 लाख हो गई।
- संक्रमण के कारण मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही बनी रही। भारत की टीबी मृत्यु दर 2021 में 4.94 लाख से घटकर 2022 में 3.31 लाख हो गई। भारत ने संक्रमण से पीड़ित 95% रोगियों का उपचार शुरू करने के अपने 2023 के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

Centre approves new treatment regimen for multidrug-resistant TB

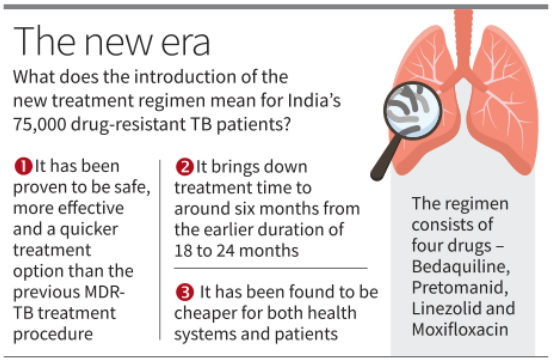

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Health Ministry on Friday approved the introduction of a new treatment regimen for multidrug-resistant tuberculosis in India.

The BPaLM regimen has proven to be a safe, more effective and quicker treatment option than the previous multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment procedure, the Ministry said.

It added that the country was working towards the elimination of TB by 2025, five years ahead of the global target for eliminating the disease under the sustainable development goals. As part of these efforts, the Ministry has introduced the BPaLM regimen, a novel treatment for MDR-TB, under its National TB Elimination Programme.

High success rate

This regimen includes a new anti-TB drug, Pretomanid, in combination with Bedaquiline and Linezolid (with or without Moxifloxacin). Pretomanid had earlier been approved and licensed for use in India by the Central Drugs Standard Control Organisation.

While traditional treatments can last up to 20 months with severe side effects, the BPaLM regimen can cure drug-resistant TB in just six months with a high success rate.

India's 75,000 drug-resistant TB patients will now be able to benefit from this shorter regimen.

UPSC Prelims PYQ : 2017

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के उद्देश्य हैं?

1. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करना।

2. छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की घटनाओं को कम करना।

3. बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए चावल की खपत को बढ़ावा देना।

4. पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

GEO IAS
It's about quality

Page 03 : GS 2 – Polity Governance

हाल ही में एक संसदीय समिति के समक्ष हुई चर्चाओं में ऐतिहासिक स्मारकों के प्रबंधन के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वक्फ बोर्ड के बीच महत्वपूर्ण तनाव को उजागर किया गया है।

Shared ownership of protected monuments with Waqf Board causes conflict, says ASI

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Quoting the examples of Fatehpur Sikri in Agra and Atala Masjid in Jaunpur, the Archaeological Survey of India (ASI) told a Parliamentary panel that having protected monuments which are also notified as Waqf property gives rise to conflicts and administrative issues. The ASI made this argument during its submission to a joint committee holding consultations on the Waqf (Amendment) Bill, 2024.

Contesting this claim, Opposition members of the committee argued that no monument is arbitrarily appropriated by the Waqf Board without historical evidence supporting its ownership, noting that the ASI's own governing legislation – the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act (AMASR Act) – equips the organisation to deal with such cases.

The ASI's list had 53 protected monuments, including Fatehpur Sikri, which have also been declared as Waqf property. FILE PHOTO

The ASI shared a list of 53 protected monuments, which have also been declared as Waqf property by the Waqf Board, using the Waqf Act, 1995. Such "dual authorities" create conflict, ASI officials said. They underlined that many of these properties have been categorised as Waqf only after they were declared as protected sites.

According to sources, the ASI complained that its staff have been restricted from carrying out "conservation" work in such monuments. They also accused the Board of carrying out "several additions and alterations" to the original structure of these protected monuments, hampering the "authenticity and integrity" of such structures. They listed the examples of the Atala Masjid in Jaunpur where shops were built into the enclosure, and Mecca Masjid in Ahmednagar, where fittings and fixtures were installed without the ASI's permission. They also cited the case of Fatehpur Sikri, where officials claimed that the Waqf is directly appointing tour guides, replacing the ASI-certified guides.

These ASI charges were contested by a number of Opposition members. All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) MP Asadduddin Owaisi, it is learnt, pointed out that the ASI is deliberately ignoring the very framework of laws that it operates under. The AMASR Act, he argued, provides for balancing private property rights to protected monuments with the public purpose of preservation.

Other members countered that no property could be declared as a Waqf arbitrarily without historical evidence of "Waqf by user". The new law, they said, is trying to do away with this very clause of "Waqf by user" which will throw open all Waqf properties for multiple claims.

ASI officials were also cornered by the ruling BJP's MPs, who asked them why the organisation had failed to act in instances listed by them where the Waqf status allegedly threatened the integrity and authenticity of the protected structures.

- ASI ने कुछ संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति के रूप में दोहरे पदनाम से उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक संघर्षों और संरक्षण मुद्दों के बारे में चिंता जताई है। यह बहस तब सामने आई है जब वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा की जा रही है।

ASI द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

- एएसआई प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (एएमएएसआर अधिनियम) के तहत वर्गीकृत स्मारकों का प्रबंधन और संरक्षण करता है।
- साथ ही, इनमें से कुछ स्मारकों को वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है।

उदाहरण:

- आगरा में फतेहपुर सीकरी और जौनपुर में अटाला मस्जिद को ऐसे उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया जाता है जहां इस तरह के दोहरे अधिकार ने संघर्षों को जन्म दिया है।
- जौनपुर में अटाला मस्जिद में कथित तौर पर इसके परिसर में दुकानों का निर्माण देखा गया है, और मक्का मस्जिद, अहमदनगर में फिटिंग एएसआई की मंजूरी के बिना स्थापित की गई थी।

वक्फ बोर्ड के बारे में

- वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है जो इस्लामी कानून के तहत वक्फ के रूप में नामित संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख करता है।
  o इन संपत्तियों को धर्मार्थ बंदोबस्ती माना जाता है और इनका उपयोग अक्सर धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- कार्य: वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल और अन्य धर्मार्थ संस्थान शामिल हो सकते हैं।
  o वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ बोर्ड को दान के नाम पर किसी भी संपत्ति या इमारत को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है।
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: विधेयक मौजूदा वक्फ कानूनों में संशोधन करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है। यह एक संसदीय समिति द्वारा समीक्षाधीन है।

संरक्षित स्मारक

- संरक्षित स्मारक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं जिन्हें सरकार द्वारा उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या स्थापत्य महत्व के लिए मान्यता दी गई है।
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR अधिनियम), 1958 के तहत उन्हें संरक्षित किया जाता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इन स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसमें अनधिकृत परिवर्तनों को रोकना, जीर्णोद्धार करना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि स्मारकों की ऐतिहासिक अखंडता बनी रहे।

Page 05 : GS 3 : Enviroment

बाघ संरक्षण के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने हाल ही में निर्देश जारी कर 19 राज्यों से आग्रह किया है कि वे बाघों के प्रमुख क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के पुनर्वास को प्राथमिकता दें।

NTCA letter on relocation from tiger zones draws ire

Apex tiger conservation authority asks 19 States to 'prioritise' removal of residents from core tiger zones; senior Environment Ministry official says these letters are routine and periodic reminders

Jacob Koshy
NEW DELHI

A recent letter by the National Tiger Conservation Authority (NTCA) – the apex body tasked with tiger conservation – asking 19 States to "prioritise" the removal of villagers who are residents in the core tiger zones has drawn the ire of several organisations and activists, who have written to Union Environment Minister Bhupender Yadav protesting against these directions.

"It has been observed that 591 villages comprising 64,801 families are still residing in the core area (of the tiger zone). The progress of village relocation is very slow and it poses grave concern in the light of tiger conservation," said the letter written by G.S. Bharadwaj, Additional DGF (Project Tiger) and Member Secretary, NTCA to Subhash Malkede, Chief Wildlife Warden, Karnataka on June 19.

Though *The Hindu* has only viewed this letter, similar letters have been sent to other States too. Karnataka has 81 villages in the core zone, with 1,175 families having been relocated since the inception of Project Tiger in 1973.

The "core zone" is a tiger reserve area where tribals cannot live, while hunting and collecting forest produce is banned. FILE PHOTO

The "core zone" refers to the portion in a tiger reserve where tribals cannot live and activities such as hunting and collecting forest produce is banned. There is a concentric circle outside the "core zone" called the buffer zone where these restrictions are eased but regulated.

There are 53 tiger reserves in India across 19 States, with 848 villages comprising 89,808 families in the core zone. Since 1973, 257 of these villages comprising 25,007 families have been relocated. The Wildlife Act says that core zones are to be "inviolate" and these must be made so by coaxing residents to "voluntarily relocate" on "mutually agreed terms and conditions".

"We are appalled at the step taken by the NTCA directing the relocation of the forest dependent communities in flagrant violation of all the relevant laws," read the letter by the organisations dated September 5.

The letter alleges that the NTCA's relocation orders were in "complete violation" of the Wildlife (Protection) Act, the Forest Rights Act, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (LARR), and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.

"The NTCA action put pressure on the State governments to relocate communities... forcing the State governments to commit illegalities. This would lead to massive conflicts between State authorities and the Scheduled Tribes and other forest dwelling tribes living in the tiger reserves," the letter added.

A senior official in the Environment Ministry, who declined to be identified, told *The Hindu* that these letters were "routine" and periodic reminders to the States to make core zones inviolate. "The process of relocation is voluntary and cannot be done without settling the rights of forest dwellers. There are several success stories but it is a necessarily slow process as data will show."

NTCA का निर्देश:

- एनटीसीए के अनुसार, 591 गांव, जिनमें 64,801 परिवार शामिल हैं, कोर टाइगर जोन में रहते हैं, जो बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

- कोर जोन बाघ रिजर्व के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जहां शिकार और वन उपज संग्रह जैसी मानवीय गतिविधियाँ निषिद्ध हैं, और आदिवासी निवास नहीं कर सकते हैं।
- कोर जोन के बाहर बफर जोन है, जहाँ कुछ गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन उन्हें विनियमित किया जाता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के बारे में:

	विवरण
संविधान	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित MoEFCC के तहत वैधानिक निकाय।
अध्यक्षता	पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में।
संरचना	• वन्यजीव संरक्षण और आदिवासी कल्याण के 8 विशेषज्ञ। • 3 सांसद। • वन महानिरीक्षक पदेन सदस्य सचिव।
उद्देश्य	• प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना। • टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही बढ़ाना। • संसदीय निगरानी प्रदान करना। • स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करना।
शक्तियाँ और कार्य	• राज्य द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देना। • बाघ अभयारण्यों में गैर-संवहनीय भूमि उपयोग को रोकना। • पर्यटन और बाघ संरक्षण दिशा-निर्देशों के लिए मानक निर्धारित करना। • बाघों की जनगणना करना (M-STrIPES ऐप के माध्यम से)। • पारिस्थितिकी विकास और लोगों की भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करना।
प्रमुख पहल	• प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1 अप्रैल, 1973 को शुरू किया गया था।

UPSC Prelims PYQ : 2014

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई है।

2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है।

3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

GEO IAS
It's about quality

Page 06 : GS 2 : Indian Polity

कश्मीर का नाजुक पर्यावरण शहरीकरण, व्यावसायीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर क्षति का सामना कर रहा है, जो एक लचीले और टिकाऊ पर्यटन मॉडल की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

A tourism policy ill-suited for Jammu and Kashmir

In the collective consciousness, Kashmir remains an Eden, but time has changed its environment. The relentless march of urbanisation and commercialisation has inflicted grievous wounds on this once pristine sanctuary. The manifestations of climate change are also evident.

Effects of new policy

The influx of tourists is causing great stress to the Valley's delicate ecological equilibrium. The Jammu and Kashmir government's recent tourism policy efforts, ostensibly to project an image of tranquillity and normalcy after the dilution of the region's special status, have had significant environmental repercussions. According to official data, over four crore tourists have visited Kashmir since the announcement of a new tourism policy in 2020. In the first half of 2024, 1.2 million tourists arrived in Kashmir.

The unbridled escalation in tourist activities, propelled by the administration's endeavours to showcase the Valley's newfound stability, is causing an array of ecological disturbances. Additionally, inadequate waste management systems are worsening pollution levels in waterbodies, further compounding the ecological degradation. The promotion of pilgrimage tourism in Jammu and Kashmir, particularly in areas such as Pahalgam and the Trikuta ranges where the Mata Vaishno Devi temple is located, has significantly strained the fragile ecosystem. The influx, often exceeding the region's carrying capacity, has led to deforestation, waste accumulation, and unregulated construction. Experts believe that it was unchecked tourism that was a key factor contributing to the catastrophic floods in 2014.

The influx of visitors necessitates the expansion of infrastructure from hotels, roads, and recreational facilities, that invariably encroach upon natural habitats. The construction boom not only disrupts wildlife corridors but also leads to deforestation, exacerbating soil erosion and affecting the landscape. Moreover, the heightened demand for water and electricity strains local resources.

Bilal Ahmad Wagay

an Assistant Professor of political science in Jammu and Kashmir higher education, and a researcher and literary critic

The damage being caused to the region's fragile environment highlights the need for a resilient and sustainable tourism model

Unchecked withdrawal of groundwater is depleting aquifers at an alarming rate, while increased electricity consumption necessitates greater reliance on hydroelectric projects. These projects, though renewable in nature, can devastate local aquatic ecosystems and alter the hydrological balance.

There is an acute shortage of drinking water in many areas of Kashmir. The depletion of glaciers at a faster rate due to climate change has led to water scarcity. The Valley is facing an imminent agricultural drought, a situation exacerbated by below-average rainfall and erratic weather patterns. The region is witnessing less water in rivers and streams, in turn affecting irrigation. Drought also threatens crop yields, which could lead to economic distress for farmers and potential food shortages. Climate change poses long-term challenges to Kashmir's agricultural sustainability and food security.

A fragile region

Jammu and Kashmir is a region that is affected by natural disasters such as earthquakes, floods, landslides, and avalanches. The region also lies in a seismically active zone. The catastrophic floods of 2014 caused widespread destruction, submerging large parts of the Kashmir Valley, damaging infrastructure, and displacing thousands of people. Around five million people were affected – around 4.5 million in the Valley and half a million in the Jammu region. The State's economy suffered an estimated loss of ₹5,400 crore-₹5,700 crore. In 2022, flash floods caused by a cloudburst near Amarnath killed 16 people and left 40 missing. The construction of roads to unexplored tourist destinations, where the intent is to boost accessibility and economic growth, often ends up disrupting fragile ecosystems.

The landslide in Wayanad, Kerala, which claimed over 200 lives, is a stark reminder of the grave dangers posed by unchecked commercialisation in ecologically sensitive regions. It is a moment of caution in regions such as Kashmir, which have a delicate ecosystem.

Have a new model

The natural beauty of Kashmir is a significant draw for tourists, but the push for commercialisation through the construction of hotels, resorts and other infrastructure can have catastrophic consequences if not managed sustainably. The region's fragile environment necessitates the adoption of a resilient and sustainable tourism model. In Jammu and Kashmir, this would involve promoting eco-friendly practices that minimise environmental degradation such as reducing waste, conserving water, and protecting biodiversity. It also requires the inclusion of local communities in tourism planning and decision-making.

Building resilience requires infrastructure that can withstand extreme weather, diversifying tourism offerings beyond just the peak seasons, and creating policies that protect the interests of both tourists and locals. By adopting a resilient and sustainable tourism model, Jammu and Kashmir can safeguard its natural beauty, support local communities, and ensure that tourism remains a viable economic driver for generations to come. This shift is not only necessary but also urgent in order to balance economic development with environmental conservation and social equity in the region.

जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के उद्देश्य और लक्ष्य

- पर्यटन के सभी रूपों को बढ़ावा देना: नीति का उद्देश्य पारंपरिक मनोरंजक पर्यटन के साथ-साथ साहसिक, तीर्थयात्रा, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह विविधीकरण पर्यटकों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित कर सकता है।
- स्थायी अभ्यास: नीति स्थायी पर्यटन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देती है जो पर्यावरण क्षरण को कम करती हैं, पानी का संरक्षण करती हैं और जैव विविधता की रक्षा करती हैं।
- बुनियादी ढांचे का विकास: यह पर्यटकों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए होटल, सड़क और मनोरंजक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहता है।
- सामुदायिक जुड़ाव: नीति का उद्देश्य पर्यटन नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना है, संरक्षण प्रयासों और स्थायी प्रथाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

- पर्यटन का विविधीकरण: पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन जैसे पर्यटन के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देकर, नीति का उद्देश्य पारंपरिक पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और पूरे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही को अधिक समान रूप से वितरित करना है।

नई नीति के क्या प्रभाव हैं?

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव:
• पर्यटकों की आमद में वृद्धि: 2020 में नई पर्यटन नीति की घोषणा के बाद से, 40 मिलियन से अधिक पर्यटक कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। • रोजगार में वृद्धि: नीति प्रति वर्ष लगभग 50,000 लोगों को रोजगार पैदा करने में मदद करती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दे सकती है। • संस्कृति और त्योहारों को बढ़ावा देती है: नीति पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूर्व-निर्धारित कैलेंडर के साथ शहर-वार कार्यक्रमों और त्योहारों को बढ़ावा देती है। • निर्यात और सहयोग को बढ़ावा देना: नीति हस्तशिल्प उद्योग को सीधे निर्यात करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने में मदद करती है, जो पहले चुनिंदा गंतव्यों तक सीमित था।	• पर्यावरणीय तनाव: पर्यटन गतिविधियों में तेजी से वृद्धि के कारण वनों की कटाई, अपशिष्ट संचय और जल निकायों के प्रदूषण सहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गड़बड़ी हुई है। • बुनियादी ढांचे में तनाव में वृद्धि: इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण हुआ और स्थानीय संसाधनों, जैसे पानी और बिजली पर दबाव बढ़ा। • जलवायु परिवर्तन प्रभाव: यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के त्वरित प्रभावों का अनुभव कर रहा है, जिसमें हिमनदों की कमी और अनियमित मौसम पैटर्न शामिल हैं, जो कृषि स्थिरता और जल उपलब्धता को खतरे में डालते हैं।

प्रमुख चुनौती: क्षेत्र की नाजुकता

- प्राकृतिक आपदाएँ: जम्मू और कश्मीर में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं, जो अनियंत्रित व्यावसायीकरण और पर्यावरणीय गिरावट से और भी बढ़ सकती हैं।
- पारिस्थितिक संवेदनशीलता: क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर्यटन और शहरीकरण के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
- संसाधनों में कमी: पानी और ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती माँग के कारण जलभृतों में कमी आ रही है और जलविद्युत परियोजनाओं पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो रहे हैं।

एक लचीले पर्यटन मॉडल की आवश्यकता (आगे की राह)

- स्थायी पर्यटन प्रथाएँ: एक लचीले और टिकाऊ पर्यटन मॉडल को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है जो पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं, अपशिष्ट में कमी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देता हो।
- सामुदायिक भागीदारी: पर्यटन नियोजन और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए।

- बुनियादी ढांचे का लचीलापन: चरम मौसम की घटनाओं का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास करना और पीक सीजन से परे पर्यटन की पेशकश में विविधता लाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करेगा।
- नीति एकीकरण: एक सुसंगत दृष्टिकोण जो टिकाऊ पर्यटन नीतियों को व्यापक आर्थिक और पर्यावरणीय रणनीतियों के साथ एकीकृत करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हुए क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

GEO IAS
It's about quality

Term In News : Financialisation

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने हाल ही में आगाह किया था कि वित्तीयकरण भारत के व्यापक आर्थिक परिणामों को विकृत कर सकता है।

वित्तीयकरण के बारे में:

- यह किसी देश के वित्तीय क्षेत्र के आकार और महत्व में वृद्धि को उसकी समग्र अर्थव्यवस्था के सापेक्ष संदर्भित करता है।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग आर्थिक नीति और आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव प्राप्त करते हैं।
- यह पारंपरिक औद्योगिक या उत्पादक गतिविधियों (जैसे विनिर्माण) से वित्तीय गतिविधियों में बदलाव को दर्शाता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार, प्रबंधन और सट्टेबाजी शामिल है।
- यह शब्द लेन-देन और बाजार के खिलाड़ियों की बढ़ती विविधता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और समाज के सभी हिस्सों के साथ उनके प्रतिच्छेदन का भी वर्णन करता है।
- यह तब हुआ जब देश औद्योगिक पूंजीवाद से दूर चले गए।
- यह वित्तीय बाजारों की संरचना और संचालन के तरीके को बदलकर और कॉर्पोरेट व्यवहार और आर्थिक नीति को प्रभावित करके मैक्रोइकॉनोमी और माइक्रोइकॉनोमी दोनों को प्रभावित करता है।
- वित्तीयकरण ने अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वित्तीय क्षेत्र में आय में अधिक वृद्धि की है।

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 06 Editorial Analysis

Stick to fiscal deficit as the norm for fiscal prudence

C. Rangarajan

Distinguished University Professor, Ahmedabad University and a former Governor, Reserve Bank of India

D.K. Srivastava

Honorary Professor, Madras School of Economics and Member, Advisory Council to the Sixteenth Finance Commission

Government expenditures exceeding revenue by a high margin can lead to a difficult situation. In the 1980s, rising fiscal deficit accompanied by rising government debt led to a difficult balance of payments situation and a high ratio of interest payment to revenue receipts. This forced the government to borrow progressively more to meet developmental expenditures.

Budget pointer

In the final 2024-25 Union Budget, the Finance Minister said, "From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the Central government debt will be on a declining path as percentage of GDP." The Budget speech also says that the Centre's fiscal deficit would be reduced to 4.5% of GDP in 2025-26 from its budgeted level of 4.9% in 2024-25.

With these levels of fiscal deficit in two consecutive years, the Centre's debt-GDP ratio is estimated at 54% in 2025-26, assuming a nominal GDP growth of 10.5% in these two years. After this, the central government aims to have only a reducing path of debt-GDP ratio without stating a debt-GDP target and specifying a path to reach that. This implies effective abandoning of the Centre's Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) 2018 debt-GDP target of 40% for the central government and 60% for the combined government for an indefinite period. It can be shown that with a nominal GDP growth in the range of 10%-11%, a falling path of the debt-GDP ratio can be ensured year after year while maintaining a fiscal deficit-GDP ratio for the Centre at 4.5%. In fact, at this level of fiscal deficit, the debt-GDP ratio would reach a level of 48% by 2048-49 while showing a falling debt-GDP ratio all along. State governments, in their respective Fiscal Responsibility Legislations (FRLs), have adopted a fiscal deficit-Gross State Domestic Product (GSDP) target of 3%. They may also be tempted to abandon their targets and only show a falling path of their respective debt-GSDP ratios. If the two levels of government maintain, on average, fiscal deficit to GDP ratios of 4.5% and 3% net of intergovernmental lending, the average combined fiscal deficit would amount to 7.5% of GDP for several years.

Such a profile of debt and fiscal deficit, while consistent with a falling debt-GDP/GSDP profiles, would leave little space for the private sector to access available investible surplus unless current account deficit is increased beyond sustainable levels.

> With the current lower levels of household financial savings, having 3% of GDP as a limit to fiscal deficit should be the focus

The Twelfth Finance Commission had argued that the investible surplus for the private corporate sector and the non-government public sector can be derived as the excess of household financial savings and net inflow of foreign capital over the draft of this surplus by the central and State governments through their borrowing. In this context, the Twelfth Finance Commission had observed (paragraph 4.41 of their report), "The transferable savings of the household sector of 10 per cent of GDP combined with an acceptable level of current account deficit of 1.5 per cent would be adequate to provide for a government fiscal deficit of 6 per cent, an absorption by the private corporate sector of 4 per cent, and by non-departmental public enterprises of 1.5 per cent of GDP."

The recent tendency is for household financial savings to come down. In 2022-23, it was 5.3% of GDP as against 7.6% in the previous four years excluding the COVID-19 year of 2020-21. With 5.3% of household savings and about 2% of net inflow of foreign capital, available investible surplus of 7.3% will be fully pre-empted by the fiscal deficits of the central and State governments at about 7.5% of GDP. We can look at a higher level of fiscal deficit only if household financial savings rise.

Sustainable debt and fiscal deficit

There is a simple arithmetic relationship between fiscal deficit and debt-GDP ratio. To reduce the debt-GDP ratio, one has to act on fiscal deficit-GDP ratio, which essentially means change in the debt-GDP ratio between two consecutive years. The fiscal responsibility framework, which has been built in India after 2003, with States coming on board with their respective FRLs, has considered suitable combinations of debt-GDP/GSDP levels along with fiscal deficit-GDP/GSDP levels.

In India's context, if the debt-GDP ratio remains relatively high compared to the norms given in the FRLs of the Centre and States, the ratio of interest payment to revenue receipts would also remain high, pre-empting government's revenue receipts while leaving progressively lower shares for financing non-interest expenditures. The ratio of Centre's interest payment to revenue receipts net of tax devolution, which had fallen to 35% in 2016-17, has increased to an average of 38.4% during 2021-22 to 2023-24. This ratio averaged 51.6% if we consider the Centre's revenue receipts after taking into account all transfers including tax devolution and grants.

An international comparison

There are many countries which have a far higher level of government debt-GDP ratio as compared to India. Their interest payments to revenue receipts, however, are much lower. For example, during 2015-19, the ratio of interest payment to revenue receipts averaged only 5.5%, 6.6% and 8.5% for Japan, the United Kingdom and the United States, respectively (International Monetary Fund). In contrast, during 2015-16 to 2019-20, India's combined interest payment to revenue receipts ratio was 24% on average with the Centre's post transfer ratio averaging 49%.

While recent pronouncements talk of the debt-GDP ratio as the policy variable, they do not, however, specify what that target is for India and what the path would be to reach that target from the current levels of debt-GDP ratio. The problem in the context of macro-stabilisation is that when a major disturbance occurs, such as the COVID-19 pandemic in our recent past, it took just one year for the central debt-GDP ratio to shoot up from 50.7% in 2019-20 to 60.7% in 2020-21.

However, returning to the pre-COVID-19 level of debt-GDP ratio has taken much longer and we are still nowhere close to reaching that. The paths of adjustment of upward and downward movements of debt-GDP ratio due to a macroeconomic shock often tends to be asymmetric. Governments find it convenient to keep postponing the downward adjustment in the debt-GDP ratio while continuing to nurse high levels of interest payment relative to revenue receipts. There is no point in urging private investment to grow if the available investible surplus is limited. With the current lower levels of household financial savings, it is better for the central government to stick to 3% of GDP as a limit to fiscal deficit. We need to draw up a road map to achieve that level. Any relaxation of this rule will only lead to fiscal imprudence.

The views expressed are personal

GS Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था

(UPSC CSE (M) GS-3 : 2019) क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइए। (150 w/10m)

UPSC Mains Practice Question सरकारी ऋण के प्रबंधन में राजकोषीय समेकन का क्या महत्व है तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? (150 w /10 m)

संदर्भ :

- सरकारी व्यय राजस्व से बहुत अधिक होने से मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है।
- 1980 के दशक में, बढ़ते राजकोषीय घाटे के साथ-साथ बढ़ते सरकारी कर्ज के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति कठिन हो गई और राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात बहुत अधिक हो गया।
- इससे सरकार को विकास व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बजट के मुख्य संकेत क्या हैं?

- अंतिम बजट 2024-25 लक्ष्य: वित्त मंत्री के अनुसार, 2026-27 से, लक्ष्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के कर्ज को कम करने के लिए सालाना राजकोषीय घाटे को कम करना है। बजट भाषण में 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक कम करने की भी योजना है, जो 2024-25 में 4.9% से कम है।
- केंद्र का ऋण-जीडीपी अनुपात: 2025-26 में 54% होने का अनुमान है, इन दो वर्षों में 10.5% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि मानते हुए।
- ऋण-जीडीपी अनुपात में कमी: इसके बाद, केंद्र सरकार का लक्ष्य ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने का केवल एक मार्ग अपनाना है, बिना ऋण-जीडीपी लक्ष्य बताए और उस तक पहुंचने का मार्ग निर्दिष्ट किए।
  o इसका अर्थ है केंद्र सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) 2018 ऋण-जीडीपी लक्ष्य को प्रभावी रूप से छोड़ना, जो केंद्र सरकार के लिए 40% और संयुक्त सरकार के लिए 60% है, अनिश्चित काल के लिए।
  o 10%-11% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि के साथ, केंद्र के लिए राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात को 4.5% पर रखते हुए, ऋण-जीडीपी अनुपात में लगातार गिरावट को सालाना हासिल किया जा सकता है। इस राजकोषीय घाटे के स्तर पर, ऋण जीडीपी अनुपात 2048-49 तक 48% तक गिरने का अनुमान है, जिसमें पूरी अवधि में निरंतर कमी होगी।
- राज्य सरकारों के लक्ष्य: अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) में, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लक्ष्य 3% अपनाया है।
  - वे अपने लक्ष्यों को अनदेखा कर सकते हैं और केवल ऋण-जीएसडीपी अनुपात को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि सरकार के दोनों स्तर जीडीपी के 4.5% और 3% (अंतर-सरकारी उधार को छोड़कर) के

औसत राजकोषीय घाटे को बनाए रखते हैं, तो संयुक्त घाटा कई वर्षों तक जीडीपी का औसतन 7.5% हो सकता है।

- सीमित निजी स्थान: ऋण और राजकोषीय घाटे की ऐसी स्थिति, जबकि गिरते ऋण-जीडीपी/जीएसडीपी प्रोफाइल के अनुरूप है, निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध निवेश योग्य अधिशेष तक पहुँचने के लिए बहुत कम जगह छोड़ेगी जब तक कि चालू खाता घाटा टिकाऊ स्तरों से अधिक न बढ़ जाए।

निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा क्या है?

- बारहवें वित्त आयोग के तर्क: इसने तर्क दिया था कि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और गैर-सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निवेश योग्य अधिशेष को घरेलू वित्तीय बचत और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उधार के माध्यम से इस अधिशेष के मसौदे पर विदेशी पूंजी के शुद्ध प्रवाह की अधिकता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
- मुख्य अवलोकन: "जीडीपी के 10% की घरेलू क्षेत्र हस्तांतरणीय बचत, 1.5% के चालू खाता घाटे के साथ, 6% के सरकारी राजकोषीय घाटे, 4% के निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र अवशोषण और 1.5% के गैर-विभागीय सार्वजनिक उद्यमों के अवशोषण का समर्थन करेगी।
- घरेलू बचत में गिरावट और राजकोषीय घाटे पर इसका प्रभाव: घरेलू बचत हाल ही में 2022-23 में जीडीपी के 5.3% तक गिर गई है, जो 2020-21 को छोड़कर पिछले वर्षों में 7.6% से कम है। 5.3% बचत और 2% विदेशी पूंजी के साथ, 7.3% का कुल निवेश योग्य अधिशेष केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.5% है। हम राजकोषीय घाटे को तभी बढ़ा सकते हैं जब घरेलू बचत बढ़ेगी।

राजकोषीय घाटे और ऋण-जीडीपी अनुपात के बीच क्या संबंध है?

- राजकोषीय घाटे और ऋण-जीडीपी अनुपात के बीच अंकगणितीय संबंध: ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए, किसी को राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात पर कार्य करना होगा, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है लगातार दो वर्षों के बीच ऋण-जीडीपी अनुपात में परिवर्तन।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचा: भारत में 2003 के बाद बनाया गया है, जिसमें राज्य अपने-अपने एफआरएल के साथ शामिल हुए हैं, जिसमें राजकोषीय घाटा-जीडीपी/जीएसडीपी स्तरों के साथ-साथ ऋण-जीडीपी/जीएसडीपी स्तरों के उपयुक्त संयोजनों पर विचार किया गया है।

भारतीय परिदृश्य

- उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात का महत्व: यदि केंद्र और राज्यों के एफआरएल में दिए गए मानदंडों की तुलना में यह अपेक्षाकृत उच्च रहता है, तो राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात भी उच्च बना रहेगा, जिससे सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ कम होंगी जबकि गैर-ब्याज व्यय के वित्तपोषण के लिए उत्तरोत्तर कम हिस्सा बचेगा।
- कर हस्तांतरण के बाद राजस्व प्राप्तियों के लिए केंद्र के ब्याज भुगतान का अनुपात: कर हस्तांतरण के बाद राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केंद्र का ब्याज भुगतान 2016-17 में 35% से बढ़कर 2021-22 और 2023-24 के बीच औसतन 38.4% हो गया। कर हस्तांतरण और अनुदान जैसे सभी हस्तांतरणों को शामिल करते हुए, यह अनुपात औसतन 51.6% रहा।

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों की तुलना

- ऋण-जीडीपी और कम ब्याज भुगतान: कई देशों में भारत की तुलना में सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात अधिक है, लेकिन उनकी राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान कम है। उदाहरण के लिए, 2015-19 से, जापान, यूके और यूएस में औसत ब्याज भुगतान अनुपात क्रमशः 5.5%, 6.6% और 8.5% था। इसके विपरीत, भारत का औसत ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2015-16 से 2019-20 तक 24% था, जिसमें केंद्र का स्थानांतरण-पश्चात अनुपात औसतन 49% था।
- नीतिगत पहल: हाल के बयानों में ऋण-जीडीपी अनुपात को एक प्रमुख नीति चर के रूप में उजागर किया गया है, लेकिन भारत के लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और मार्गों का अभाव है। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के कारण एक वर्ष के भीतर केंद्रीय ऋण-जीडीपी अनुपात 2019-20 में 50.7% से बढ़कर 2020-21 में 60.7% हो गया।
- मैक्रोइकॉनॉमिक शॉक: वृहद आर्थिक झटके के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात के ऊपर और नीचे की ओर होने वाले बदलावों के समायोजन के रास्ते अक्सर असममित होते हैं।

निष्कर्ष

- सरकारें राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के उच्च स्तर को जारी रखते हुए ऋण-जीडीपी अनुपात में नीचे की ओर समायोजन को स्थगित रखना सुविधाजनक पाती हैं। यदि उपलब्ध निवेश योग्य अधिशेष सीमित है, तो निजी निवेश को बढ़ाने का आग्रह करने का कोई मतलब नहीं है।
- घरेलू वित्तीय बचत के मौजूदा निम्न स्तरों के साथ, केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा के रूप में जीडीपी के 3% पर टिके रहना बेहतर है।
- हमें उस स्तर को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है। इस नियम में कोई भी ढील केवल राजकोषीय अविवेक को जन्म देगी। इसलिए, नीति समर्थन के साथ-साथ अधिक राजकोषीय रूप से व्यापक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा क्या है?

- राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है।
- जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो सरकार को घाटे को पूरा करने के लिए धन उधार लेना होगा या संपत्ति बेचनी होगी।
- कर किसी भी सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 2024-25 में सरकार की कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जबकि इसका कुल राजस्व 30.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- जब कोई सरकार राजकोषीय अधिशेष चलाती है, तो दूसरी ओर, उसका राजस्व व्यय से अधिक होता है।
- हालांकि, सरकारों के लिए अधिशेष चलाना काफी दुर्लभ है। आज ज़्यादातर सरकारें राजकोषीय अधिशेष बनाने या बजट को संतुलित करने के बजाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

राजकोषीय घाटा और राष्ट्रीय ऋण:

- राष्ट्रीय ऋण वह कुल राशि है जो किसी देश की सरकार किसी विशेष समय पर अपने ऋणदाताओं को देती है।
- सरकारी ऋण में घरेलू और बाहरी ऋणों सहित विभिन्न देनदारियाँ शामिल हैं, साथ ही छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के लिए दायित्व भी शामिल हैं।
- इन देनदारियों में ब्याज भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान दोनों शामिल हैं, जिससे सरकार के वित्त पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है।
- यह आमतौर पर ऋण की वह राशि होती है जो सरकार ने कई वर्षों तक राजकोषीय घाटे को चलाने और घाटे को पाटने के लिए उधार लेने के दौरान जमा की है।

- जीडीपी के हिस्से के रूप में सरकार का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उतनी ही कम संभावना है कि उसके ऋणदाताओं को बिना किसी परेशानी के भुगतान किया जाएगा।

मुख्य सूत्र

- राजकोषीय घाटा= कुल व्यय- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर)।
- राजस्व घाटा: किसी सरकार या व्यवसाय का यह घाटा कुल आय व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाकर निर्धारित किया जा सकता है।
- राजस्व घाटा= कुल राजस्व प्राप्तियाँ- कुल राजस्व व्यय।
- ऋण से जीडीपी अनुपात: यह मापता है कि किसी देश पर उसके जीडीपी के संबंध में कितना ऋण है
- जीडीपी से ऋण= देश का कुल ऋण/देश का कुल जीडीपी

भारत में राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित कानून क्या है?

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढांचा:
  o 2003 में स्थापित FRBM अधिनियम ने ऋण में कमी के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिसका लक्ष्य 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60% तक सीमित करना था।
  o हालाँकि, बाद के राजकोषीय प्रक्षेपवक्र इन लक्ष्यों से भटक गए, जिसमें केंद्र का बकाया ऋण मूल रूप से परिकल्पित सीमा को पार कर गया।
  o एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए 60% ऋण-जीडीपी अनुपात की सिफारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% शामिल है।

भारत में राजकोषीय घाटे और राष्ट्रीय ऋण के प्रबंधन के लिए क्या किया जा सकता है?

- राजकोषीय अनुशासन और समेकन:
  o एफआरबीएम अधिनियम में उल्लिखित राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
  o सरकार को स्थायी सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे-जीडीपी अनुपात को धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
  o व्यय युक्तिकरण, राजस्व वृद्धि उपायों और सब्सिडी सुधारों सहित विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को लागू करने से उधार पर निर्भरता कम करने और राजकोषीय असंतुलन को कम करने में मदद मिल सकती है।

राजस्व जुटाना बढ़ाना:

o कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए कर प्रशासन और अनुपालन को मजबूत करना।
o राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के लिए रास्ते तलाशना, जैसे कि विलासिता की वस्तुओं, संपत्ति या पर्यावरण करों पर नए कर या शुल्क लगाना।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना:

o स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अक्षमताओं की पहचान करने और व्यय को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी व्यय की व्यापक समीक्षा करना।

- कमज़ोर आबादी के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करते हुए, गैर-ज़रूरी व्यय और सब्सिडी पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करना।

ऋण प्रबंधन रणनीतियाँ:

- उधार लेने की लागत को अनुकूलित करने और पुनर्वित्त जोखिमों को कम करने के लिए एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीति विकसित करना।
- बाजार की अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों सहित निवेशक आधार और वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाना।

दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार:

- श्रम बाजार सुधार, व्यापार करने में आसानी की पहल और शासन सुधार सहित अर्थव्यवस्था की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधार करना।
- विकास क्षमता को बढ़ाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक बाधाओं और चुनौतियों का समाधान करना।

GEO IAS
It's about quality